संख्या-4/18/1/2008/का-2/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 17 अप्रैल, 2014

विषय:- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम में विकलांगजन को अनुमन्य आरक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि विकलांगजनों के आरक्षण के संबंध में सिविल अपील संख्या-9096/2013 यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड एनदर्स बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ दी ब्लाइंड एण्ड अदर्स में मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 08.10.13 के समादर में, शासन द्वारा तदविषयक पूर्व निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनॉक 03.02.2008 के संलग्नक के प्रस्तर-13 को सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है-

समूह-क एवं ख के पदों पर विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना, अधिष्ठान में समूह क अथवा समूह ख पदों में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी, यद्यपि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती, केवल उनके लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों पर ही की जायेगी। किसी अधिष्ठान में समूह-क पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन, अधिष्ठान के अंतर्गत उपयुक्त चिन्हित किये गये और उपयुक्त न चिन्हित किये गये दोनों तरह के समूह-क पदों में एक भर्ती वर्ष् में सीधी भर्ती के लिए होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखकर की जायेगी। यही प्रक्रिया समूह-ख के पदों पर लागू होगी। चूँकि आरक्षण, चिन्हित किये गये पदों तक ही सीमित है और आरक्षित रिक्तियों की संख्या का आकलन चिन्हित/अचिन्हित किये गये पदों में कुल रिक्तियों के आधार पर किया जाता है, अत:

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी चिन्हित किये गये पद पर आरक्षण द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या 03 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

2- कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-18/1/2008(1)/का-2/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0मुख्यमंत्रीजी।
2 निजी सचिव, मा0मंत्रिगण को मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
6 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in